


राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91-मुकदमा संख्या - 22/2025  
अनवान- राजस्थान सरकार जरिये पटवारी आटी बनाम टीकमाराम

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशयल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14.10.2025	<p>पत्रावली आज पेश हुई। नोटिस तामील होने के उपरान्त भी विप्रार्थी अनुपस्थित। अतः एकतरफा फैसला करते हुए विप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान 50 गुणा जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल हो। पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को जुर्माना राशि वसूलने, फसल निलामी एवं भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल सुमार हो।</p> <p style="text-align: center;"> नायब तहसीलदार-प्रथम तहसील बाड़मेर</p>	